



भारत में महिला आयोग

यह एडिटरियल 25/07/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Failures of Commission”](#) लेख पर आधारित है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका और आयोग के कार्यकरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलमिस के लिये:

[राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय दंड संहिता की धारा 497, भारत के मुख्य न्यायाधीश, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज नषिध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नविवरण\) अधिनियम, 2013, लोक अदालतें।](#)

मेन्स के लिये:

[लैंगिक समानता, सामाजिक लेखापरीक्षा, NCW की चुनौतियाँ](#)

भारत में महिला आयोगों (Women's commissions) की स्थापना वृहत वादे और उच्च आकांक्षाओं के साथ की गई थी, जहाँ इन **राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये समर्पित संस्थानों** के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी कार्यप्रणाली एवं प्रतिक्रियाओं की **आलोचनात्मक समीक्षा करने की आवश्यकता** स्पष्ट हो गई है। **मणपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार की हालिया घटनाओं** —जिससे मानवीय गरमा एवं अधिकारों की कूर उपेक्षा की चर्चाजनक स्थिति सामने आई है, ने इन आयोगों के कार्यकरण की ओर देश का गहन ध्यान आकर्षित किया है।

महिला आयोग:

■ राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW):

- NCW भारत सरकार का एक **सांविधिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतितम मामलों पर सरकार को सलाह देता है।**
- इसका गठन **जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत** किया गया था, जैसा कि **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** में परिभाषित किया गया था।
- NCW का **उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों एवं चर्चाओं के लिये अभिव्यक्ति प्रदान करना है।**
- **दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और शर्म क्षेत्र** में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं।
- NCW **हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकायत या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जांच करता है।**

■ राज्य महिला आयोग (State Commissions for Women):

- NCW के अलावा, **भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य महिला आयोगों का भी गठन किया गया है।**
- ये आयोग संबंधित राज्य अधिनियमों या आदेशों के तहत गठित किये गए हैं और **NCW के समान ही कार्य और शक्तियाँ रखते हैं।**
- वे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनके पास महिलाओं के लिये अपने स्वयं के आयोग हैं: **आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणपुर, मेघालय, मजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।**

महिला आयोग के उद्देश्य एवं कार्य:

■ उद्देश्य:

- **महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व:**
 - **राष्ट्रीय महिला आयोग** का प्राथमिक उद्देश्य **भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्षसमर्थन करना है।**

- वे महिलाओं के मुद्दों एवं चर्चाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और समाज में महिलाओं के समक्ष वदियमान वभिन्न चुनौतियों को हल करते हैं।
 - नीतगित सलाह:
 - महिला आयोगों को महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतगित मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है।
 - वे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों एवं वधान को आकार देने के लिये मूल्यवान अनुशंसाएँ और सुझाव प्रदान करते हैं।
 - संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा:
 - महिला आयोग भारतीय संवधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं परीक्षण के लिये ज़िम्मेदार हैं।
 - वे सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के लिये संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से प्रवर्तित किया जाए।
 - शिकायतों का प्रबंधन:
 - इन आयोगों को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है।
 - वे महिलाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न, हिसा और अन्य अन्याय के मामलों की जाँच करने और समाधान प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - स्वतः संज्ञान से कार्रवाई:
 - महिला आयोग शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों से वचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के गैर-अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) भी ले सकता है।
 - इससे उन्हें महिलाओं को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने का अवसर मिलाता है।
 - महिला सशक्तीकरण:
 - महिला आयोग महिलाओं के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने की दशा में कार्य करता है।
 - उनका लक्ष्य महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और वभिन्न क्षेत्रों में उनकी उन्नति के अवसर सृजित करना है।
- कार्य:
- अनुसंधान एवं अध्ययन:
 - महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन कार्य करते हैं।
 - वे साक्ष्य-आधारित नीति अनुशंसाओं का समर्थन करने के लिये डेटा और सूचना एकत्र करते हैं।
 - पक्षसमर्थन और जागरूकता:
 - ये आयोग महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये पक्षसमर्थक प्रयासों में संलग्न हैं।
 - वे सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिये वभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
 - वधिक सहायता और समर्थन:
 - महिला आयोग भेदभाव, हिसा या अन्य अधिकार उल्लंघनों का शिकार हुई महिलाओं को प्रायः वधिक सहायता और समर्थन भी प्रदान करते हैं।
 - वे महिलाओं को न्याय तक पहुँच बना सकने और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकने में सहायता प्रदान करते हैं।
 - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:
 - यह आयोग वधि प्रवर्तन एजेंसियों सहित वभिन्न हतिधारकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल की पेशकश करता है ताकि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके तथा लैंगिक चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में सुधार लाया जा सके।
 - नीतगित अनुशंसाएँ:
 - महिला आयोग अपने शोध और नषिकर्षों के आधार पर प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा अधिक लिंग-समावेशी समाज का निर्माण करने के लिये सरकार को नीतगित अनुशंसाएँ प्रदान करते हैं।
 - सहयोग और साझेदारी:
 - ये आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक प्रयास का सृजन करने के लिये सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सरकारी नकियाँ सहित वभिन्न हतिधारकों के साथ सहयोग का निर्माण करते हैं।

महिला आयोगों के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ:

- पर्याप्त संसाधनों और स्वायत्तता का अभाव:
 - महिला आयोगों को प्रायः वत्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे सरकारी वत्तिपोषण पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
 - सत्तारूढ़ सरकार द्वारा मनोनीत होने के कारण महिला आयोगों को उन मामलों से बचने के लिये दबाव का सामना करना पड़ सकता है जो संभावित रूप से सरकार या उसके सहयोगियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
 - यह राजनीतिक हस्तक्षेप महिलाओं के अधिकारों के प्रति आयोग की नषिक्षता एवं प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है।

- सीमति जागरूकता और पहुँच:
 - महिलाओं की एक बड़ी संख्या (वर्षिकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में) महिला आयोगों के अस्तित्व और भूमिका से प्रायः अवगत नहीं है।
 - जागरूकता की कमी, चुनौतियों का सामना करने पर इन आयोगों से सहायता और समर्थन ले सकने की उनकी क्षमता को बाधति करती है।

महिला आयोगों से जुड़े वभिन्नि वविाद:

- मणपुरि घटना पर प्रतिक्रिया:
 - मणपुरि मामले में NCW की प्रतिक्रिया की आलोचना की गई है, जहाँ वह त्वरति और सक्रिय रूप से कार्रवाई करने में वफिल रहा।
- मैंगलोर पब हमले पर प्रतिक्रिया:
 - वर्ष 2009 में मैंगलोर के एक पब में महिलाओं के एक समूह पर हमले के मामले में NCW की प्रतिक्रिया को असंवेदनशील एवं 'वकिटमि-ब्लेमिगि' के रूप में देखा गया और इसकी व्यापक नदि की गई।
 - इस मामले में आयोग की एक सदस्य ने पीडिताओं पर स्वयं की सुरक्षा का ध्यान न रखने का आरोप लगाया था और शकियत करने की उनकी अनच्छिा पर सवाल उठाया था।
- यौन उत्पीडन के आरोपों को हल करने में वफिलता:
 - वर्ष 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के वरिद्ध यौन उत्पीडन के आरोपों पर NCW की प्रतिक्रिया ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संबंध में इसकी सक्रियता और इच्छा पर चतिाएँ उत्पन्न की।

NCW की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- महिला अधिकारों से संबंधति कानून का सुदृढीकरण:
 - NCW ने घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतषिध अधिनियम, 1961 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधति कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ करने में मदद की है।
- कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श:
 - इसने हिंसा और यौन उत्पीडन की शकिकर महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान कया है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन:
 - इसने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, नषिध और नविारण) अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन और इसकी नगिरानी सुनश्चिति की है।
- 'जेंडर प्रोफाइल':
 - इसने सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में (लक्षद्वीप को छोड़कर) महिलाओं की स्थति एवं उनके सशक्तीकरण का आकलन करने के लयि जेंडर प्रोफाइल तैयार कया है।
- बाल वविाह और अन्य कानूनी मुददे:
 - इसने बाल वविाह के मुददे पर सक्रिय से कार्य कया है, वधिकि जागरूकता कार्यक्रमों एवं पारविारिक महिला लोक अदालत को प्रायोजति कया है और दहेज प्रतषिध अधिनियम 1961, PNDT अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहति 1860 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है ताकि इन्हें अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाया जा सके।
- कार्यशालाएँ और परामर्श:
 - इसने कार्यशालाओं/परामर्शों का आयोजन कया है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर वशिषज्ज समतियाँ का गठन कया है, लयि जागरूकता के लयि कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजति कयि हैं और कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के वरिद्ध हिंसा आदिके खलिाफ प्रचार अभियान चलाया है ताकि इन सामाजिक बुराइयों के वरिद्ध समाज में जागरूकता उत्पन्न हो सके।
- प्रकाशन:
 - यह नयिमति रूप से 'राष्ट्र महिला' नामक एक मासिक समाचार पत्र का हदिी और अंग्रेजी में प्रकाशन करता रहा है।

महिला आयोगों में सुधार के लयि रणनीतियाँ:

- पारदर्शी नयिकतप्रकरया:
 - महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नयिकतके लयि योग्यता आधारति एवं पारदर्शी प्रकरया अपनाई जाए। राजनीतिक वषिकष, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों सहति वभिन्नि हतिधारकों के प्रतनिधियों को शामिल करने से नयिमति रूप से इनका सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit) कया जाना चाहयि।
 - यह उन्हें जवाबदेह बनाएगा और सुधार के लयि अंतरदृष्टि प्रदान करेगा।
- 'सोशल ऑडिट':
 - महिला आयोगों के प्रदर्शन, धन के उपयोग और प्रभाव का आकलन करने के लयि बाह्य एजेंसियों की सहायता से नयिमति रूप से इनका सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit) कया जाना चाहयि।
 - यह उन्हें जवाबदेह बनाएगा और सुधार के लयि अंतरदृष्टि प्रदान करेगा।
- कषेत्रीय दौरों को प्रोत्साहन:
 - आयोग के सदस्यों और कर्मियों को अधिक कषेत्रीय दारे करने, वभिन्नि भूभागों में महिलाओं के साथ संवाद करने और उनकी अनूठी चुनौतियाँ एवं आवश्यकताओं को समझने के लयि प्रोत्साहति कया जाना चाहयि।
- जागरूकता और पहुँच:
 - हेल्पलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल आउटरीच जैसे वभिन्नि चैनलों के माध्यम से, वशिष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, महिलाओं के बीच महिला आयोग के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा दया जाना चाहयि।

■ समानुभूत और संवेदनशीलता प्रशिक्षण:

- संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति समानुभूत और संवेदनशीलता विकसित करने के लिये आयोग के सदस्यों और कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। इससे मामलों से निपटने में एक समर्थनकारी और पीड़िता-केंद्रित दृष्टिकोण के निर्माण में मदद मिलेगी।

अभ्यास प्रश्न: भारत में महिला आयोगों की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/women-s-commissions-in-india>

